

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सूर्यकान्त मणि,
सरकार के अवर सचिव,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता(विद्युत सहित)
सभी अधीक्षण अभियंता(विद्युत सहित)
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक:- 6/2/18

विषय:- बिहार राज्य की आरक्षण नीति के आलोक में प्रति माह समीक्षा तथा नियुक्ति के संबंध में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 317 दिनांक 05.01.2018 की छायाप्रति (अनुलग्नक की छायाप्रति सहित) संलग्न करते हुए कहना है कि बिहार राज्य आरक्षण नीति के तहत नियुक्ति में 35 प्रतिशत महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया गया है। उक्त प्रावधान के अनुपालन के संबंध में समय-समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनुश्रवण की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि सभी अधीक्षण अभियंता अपने अपने अंचल से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तैयार कर भवन निर्माण विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराये ताकि समेकित प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को समय पर उपलब्ध कराया जा सके।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
2/02/18
(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था0-04-विविध-05/2018-1183 (ख) /दिनांक- 6/2/18 /

प्रतिलिपि:- प्र0पदा0 (सभी स्थापना प्रशाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/02/18
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक- भवन/स्था0-04-विविध-05/2018-1183 (2) /दिनांक-6/2/18 /

प्रतिलिपि:-सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/18

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था0-04-विविध-05/2018-1183 (2) /दिनांक-6/2/18 /

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 317 दिनांक 05.01.18 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

21/02/18

सरकार के अवर सचिव

1. 1.18

पत्रांक-23/सा.प्र.-आ.नि.-02-01/2017,सा.प्र. 317 /

(2)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

958 अक्ष
11/1/18



अपर सचिव (3170)

Handwritten signature

शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागध्यक्ष,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-5-1-18

विषय:-

बिहार राज्य की आरक्षण नीति के आलोक में प्रति माह समीक्षा तथा नियुक्ति के संबंध में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

विभागीय पत्रांक-3080 दिनांक-15.03.2017

अपर सचिव (3170)
8/1/18

अपर सचिव
भवन निर्माण विभाग
बिहार, पटना
17.01.18

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सभी आरक्षित वर्गों के लिए आ सुनिश्चित करने के साथ ही राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत सीधी नियुक्ति में महिलाओं के 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। साथ ही आरक्षण के प्रावधानों के अनुप के संबंध में अनुश्रवण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर की जा रही है जिसके आलोक प्रासंगिक पत्र द्वारा विभागीय स्तर पर नामित सम्पर्क पदाधिकारी के स्तर से प्रत्येक माह आ संबंधी प्रतिवेदन प्रति माह, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने का अ किया गया था, किन्तु विभिन्न विभागों से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है। जिसके कारण वि आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में चिन्ता व्यक्त की गई है।

अतः अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 25 ता तक विहित प्रपत्र में भरकर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया सुनिश्चित किया जाय। उपर्युक्त आशय का प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना ई-मेल संख्या-secy-par.bih@nic.in तथा फ़ैक्स नम्बर-0612-2217466 पर भी प्रेषित किया सकता है। सुलभ प्रसंग हेतु प्रतिवेदन का प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है।

कृपया उच्च प्राथमिकता देते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनु:- यथोक्त।

अपर सचिव

श्री श्री 25/1/18

विश्वासभाजन,

शिवमहादेव प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

140/अक्ष
18/1/18

प्र. पहा.

412/अक्ष
15/1/18

S. N.	Dept./ Attached Office/ Field Office	Name of the Office	Name of Post	Pay scale/ Monthly Salary	No. of Post	Date of requisition sent to selecting agency	Number of Posts under the reservation for women					Date of recommen- dation by the selecting agency	Number of selections under the 35%					Date of notification /order for appointme- nt	Number of appointments under the 35%																						
							Unrese- rved	SC	ST	EBC	BC		Total	Unrese- rved	SC	ST	EBC		BC	Total	Unrese- rved	SC	ST	EBC	BC	Total															

5/15